UPLL010020912021

न्यायालय– जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ललितपुर।

सत्र विचारण संख्या 296/2021
सरकार बनाम राकेश यादव आदि
अन्तर्गत धारा 307/149, 504, 506, 147, 148, भा.द.सं.
थाना कोतवाली ललितपुर, जनपद ललितपुर।

आरोप

मैं, चन्द्रोदय कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ललितपुर आप अभियुक्तगण राकेश यादव, जितेन्द्र यादव, संजू यादव, प्रह्लाद सिंह व सुरेन्द्र को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ:–

1– यह कि घटना की दिनाँक 07.06.2020 समय 20 बजे व स्थान घटवार रोड, मसौरा पर आप अभियुक्तगण द्वारा सामान्य उद्देश्य के अग्रसारण में जान से मारने के उद्देश्य से वादी को गाड़ी की सीट में दबाया गया तथा तमंचा से फायर किया गया। इस प्रकार आप अभियुक्तगण ने ऐसा अपराध कारित किया है जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 सपठित धारा 149 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2– यह कि घटना कि दिनाँक, समय, स्थान उपरोक्त पर आप अभियुक्तगण ने वादी को बुरी–बुरी गालियाँ देकर साशय अपमानित किया, जिससे लोक शांति भंग होने की संभावना उत्पन्न हुई। इस प्रकार आपने ऐसा कृत्य कारित किया जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3– यह कि घटना की दिनाँक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण द्वारा वादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आपने ऐसा कृत्य कारित किया जो भा.द.सं. की धारा 506 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4– यह कि घटना की दिनाँक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर बल्वा किया गया। अपराध कारित किया गया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147 भा.द.सं. के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

5– यह कि घटना की दिनाँक, समय व स्थान उपरोक्त पर आप अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर घातक हथियारों से सुसज्जित होकर बल्वा किया गया। इस प्रकार आप अभियुक्तगण द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 148 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में हैं।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाये एवं समझाये गये। अभियुक्तगण ने लगाए गए आरोपों से इंकार किया तथा विचारण चाहा।

दिनॉक–13.12.2021

(चन्द्रोदय कुमार)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ललितपुर।

एतद्द्वारा आपको निर्दिष्ट किया जाता है कि उक्त आरोपों के तहत आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनॉक–13.12.2021

(चन्द्रोदय कुमार)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ललितपुर।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2021.12.13 11:46:28 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

<u>न्यायालय– जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ललितपुर।</u>

सत्र विचारण संख्या 296/2021
सरकार बनाम राकेश यादव आदि
अन्तर्गत धारा 307/149, 504, 506, 147, 148, भा.द.सं.
थाना कोतवाली ललितपुर, जनपद ललितपुर।

13.12.2021

पत्रावली पेश हुयी। पुकार करायी गयी। अभियुक्तगण राकेश यादव, जितेन्द्र यादव, संजू यादव, प्रह्लाद सिंह व सुरेन्द्र जेरे जमानत समक्ष न्यायालय उपस्थित हैं।

पत्रावली आज आरोप पर सुनवाई हेतु नियत है।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (आपराधिक) के आरोप पर तर्क सुने तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है तथा उन्हे उन्मोचित किये जाने की प्रार्थना की गयी। जिसके जवाब में विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा वादी को जान से मारने की नियत से फायर किया गया है तथा अभियुक्तगण द्वारा गाली गलौज करते हुए मारपीट करके जान से मारने की धमकी दी गयी है और बल्वा किया गया है। इसलिए अभियुक्तगण पर आरोप विरचित किये जाने के पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 307/149, 504, 506, 147, 148 भा.द.सं. के आरोप अधिरोपित किये जाने हेतु इस स्तर पर प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं।

अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 307/149, 504, 506, 147, 148 भा.द.सं. के आरोप पृथक पृष्ठ पर विरचित किये जाते हैं।

पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनॉक 04.01.2022 को पेश हो।

दिनॉक–13.12.2021

(चन्द्रोदय कुमार)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
ललितपुर।